राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
133/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	06.11.2017	10.04.2019

उनवान सरकार बनाम अशोक कुमार पुत्र सम्पतराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्रम सहड़ की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 209 कुल रकबा 31.50 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.11 है0 अतिक्रमी अशोक कुमार पुत्र सम्पतराम जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से तारबाड़ कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में तारबाड़ कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तारबाड़ कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 12.32/– का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 209 लगान 0.11 की 50 गुणा जुर्माना राशि 6/– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

पृष्ठ 49
1 6/-

(प्रभुदयाल व्यास)
तहसीलदार बुहाना

Suman

Scanned by CamScanner